बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–38 / 2026 पटना / दिनांक

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के पत्रांक–2411 दिनांक 01.08.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार (जे0 10037), कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल–02, वीरपुर का स्वयं के चिकित्सा हेतु दिनांक– 14.09.2025 से 20.10.2025 (कुल 37 दिन) तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम– 227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर को उनके पत्रांक–2411 दिनांक 01.08.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल–02, वीरपुर / श्री मनोज कुमार (जे0 10037), कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल–02, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– 5913 पटना, दिनांक – 09/10/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।